

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 689
No. 242]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940	[N.C.T.D. No. 689

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा
अधिसूचना

दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

2018 का विधेयक संख्या - 06

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018

वर्ष 2018-2019 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

सं. 21(42)/विनि. 4/2018/वि. स. सं.-VI/वि./4082.—भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक—1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2018 है।

₹ 20,91,09,97,000/- का वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त—2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हजार इक्यानवे करोड़ नौ लाख सत्तानवें हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन—3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि परभारित	योग
1	2		3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0	100
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	1373753	0	1373753
4	वित्त	राजस्व	0	0	0
5	गृह	राजस्व	0	1000	1000
		पूँजी	105400	0	105400
6	शिक्षा	राजस्व	2900	0	2900
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1000	118524	119524
		पूँजी	0	6147	6147
8	समाज कल्याण	राजस्व	3375000	0	3375000
		पूँजी	9085925	0	9085925
9	उद्योग	राजस्व	100	0	100
10	विकास	राजस्व	600	3108	3708
		पूँजी	250000	3000	253000
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	3000	100	3100
		पूँजी	3300	0	3300
14	आकस्मिक निधि	पूँजी	900000	0	900000
15	सार्वजनिक ऋण	पूँजी	0	5678040	5678040
	योग		15101078	5809919	20910997

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2018, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

सुनील दत्त शर्मा, उप सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY**NOTIFICATION**

Delhi, the 20th December, 2018

BILL NO. 06 OF 2018

DELHI APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2018

A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2018-2019.

No. 21(42)/Apprn. 4/2018/LAS-VI/Leg./4082.—BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.—1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.4) Act, 2018.

Issue of ₹ 20,91,09,97,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.—2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Two Thousand Ninety One Crore Nine Lakh Ninety Seven Thousand Only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2018-2019 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.—3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue	0	0	0
2	General Administration	Revenue	100	0	100
3	Administration of Justice	Revenue	1373753	0	1373753
4	Finance	Revenue	0	0	0
5	Home	Revenue	0	1000	1000
		Capital	105400	0	105400

6	Education	Revenue	2900	0	2900
7	Medical and Public Health	Revenue	1000	118524	119524
		Capital	0	6147	6147
8	Social Welfare	Revenue	3375000	0	3375000
		Capital	9085925	0	9085925
9	Industries	Revenue	100	0	100
10	Development	Revenue	600	3108	3708
		Capital	250000	3000	253000
11	Urban Development and Public Works	Revenue	3000	100	3100
		Capital	3300	0	3300
14	Contingency Fund	Capital	900000	0	900000
15	Public Debt	Capital	0	5678040	5678040
	Total		15101078	5809919	20910997

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 4) Bill, 2018 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 4) Bill, 2018 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

SUNIL DUTT SHARMA, Dy. Secy.